महानिदेशक (रक्षोपाय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2015

विषय : भारत में ''600 मिमी. अथवा इससे अधिक चौड़ाई की क्वायल में गैर-अलॉय अथवा अलॉय इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स'' के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच के बारे में प्रारम्भिक निष्कर्ष।

जीएसआरडी- 22011/26/2015, दिनांक 9 सितम्बर, 2015 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय ड्यूटी की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया :

1. भारत में ''600 मिमी. अथवा इससे अधिक चौड़ाई की क्वायल में गैर-अलॉय अथवा अलॉय इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स'' जिन्हें यहां पीयूसी (विचारणाधीन उत्पाद) कहा गया है, के आयात पर रक्षोपाय जांच शुल्क लगाए जाने के बारे में सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय ड्यूटी की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के अंतर्गत मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड; मैसर्स एस्स्र स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स लक्ष्मी कुमारन और श्रीधरन अटॉर्नी नई दिल्ली के माध्यम से दिनांक 27 जुलाई, 2015 को मेरे समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है ताकि पीयूसी के घरेलू उत्पादकों को, भारत में पीयूसी के बढ़े हुए आयात द्वारा होने वाली गम्भीर क्षति/ गम्भीर क्षति की आशंका से बचा जा सके। घरेलू उद्योग ने, विचारणधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में अत्यधिक गिरावट आने के मद्देनजर अनंतिम रक्षोपाय ड्यूटी लगाए जाने का भी अनुरोध किया है।

2. उक्त रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के आशय से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना को, घरेलू उत्पादकों के प्लांट पर यथा संभव आवश्यक आन-साइट दौरा करके सत्यापित किया गया था। सत्यापन रिपोर्ट का गैर-गोपनीय पाठ पब्लिक फाइल में रखा गया है। इस बात से संतुष्ट होने पर कि नियम 5 की अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं, भारत

में पीयूसी के आयात के संबंध में रक्षोपाय जांच, दिनांक 7 सितम्बर, 2015 के नोटिस के अंतर्गत शुरू की गई थी तथा उसी दिन भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित कर दी गई थी।

3. आरम्भिक नोटिस, दिनांक 7 सितम्बर, 2015 की प्रति और घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के गैर- गोपनीय पाठ की प्रति, सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय ड्यूटी की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 6 (2) और 6(3) के अनुसार वाणिज्य से संबंधित केन्द्र सरकार के मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों, मुख्य निर्यातक देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन में उल्लिखित इच्छुक पार्टियों को भिजवा दी गई थी।

4. उपलब्ध सूचना के अनुसार ज्ञात इच्छुक पार्टियों को प्रश्नोत्तर इस अनुरोध के साथ भिजवा दिए गए थे कि वे नोटिस आरम्भ किए जाने के 30 दिन के भीतर लिखित में अपने मत भिजवा दें।

(ख) **प्रारम्भिक टिप्पणी और महानिदेशक (रक्षोपाय के निष्कर्ष) :**

5. मैंने मामला रिकॉर्ड और घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है और सत्यापन दौरे के रिकॉर्ड भी देख लिए ।

(I) विचारणाधीन उत्पाद (पीयूसी) :

विचारणाधीन उत्पाद हैं ''600 मिमी. अथवा इससे अधिक चौड़ाई के क्वायल में गैर अलॉय और अन्य अलॉय इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट'' जिन्हें यहां पीयूसी (विचारणाधीन उत्पाद) के रूप में संदर्भित किया गया है तथा जो टैरिफ शीर्ष 7208 और टैरिफ मद 72253090 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत वर्गीकृत योग्य हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि इन उत्पादों पर हॉट रोल्ड की तरह और आगे कार्य नहीं किया गया है और ये प्राइम अथवा गैर-प्राइम स्थिति में ''रोल्ड'' एज अथवा ''ट्रिम्ड'' एज अथवा ''स्लिट'' एज वाले लौह, अलॉय अथवा गैर-अलॉय के फ्लैट प्रोडक्ट हैं। ये उत्पाद पिकल्ड अथवा गैर पिकल्ड (स्किन-पास अथवा टेम्पिरिंग सहित अथवा इसके बिना), स्लिट अथवा गैर स्लिट वाले तथा 600 मिमी. अथवा इससे अधिक सामान्य चौड़ाई वाले हो सकते हैं। ये उत्पाद एस-

रोल्ड अथवा थर्मोमैकेनिकली रोल्ड अथवा थर्मोमैकेनिकली कंट्रोल्ड रोल्ड अथवा कंट्रोल्ड रोल्ड हो सकते हैं। इन उत्पादों में रोलिंग से सीधे व्युत्पत रिलीफ पैटर्न हो सकते हैं। ये उत्पाद पिकलिंग, ऑयलिंग रिवाइंडिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट इत्यादि जैसे विभिन्न प्रोसेसिंग चरणों से गुजरे हुए हो सकते हैं।

विचारणाधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया है :

(क) 600 मिमी. से कम चौड़ाई वाले इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट;

(ख) एपीआई ग्रेड स्टील;

(ग) सिलीकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील;

(घ) स्प्रिंग इस्पात गुणवत्ता के इस्पात वाले हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट;

(ङ)इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट जिन पर इलेक्ट्रोलिटिकल रूप से परत चढ़ाई गई है अथवा जिंक की परत चढ़ाई गई है।

(च) जिंक की परत चढ़ाए गए अथवा कोट किए गए उत्पाद के अलावा इस्पात के अन्य हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट और

(छ) जंग रहित इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट

(II) घरेलू उद्योग :

6. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 6ख घरेलू उद्योग को निम्नलिखित अनुसार परिभाषित करती है :

(ख) ''घरेलू उद्योग'' से अभिप्राय ऐसे उत्पादकों से है –

i. इसी तरह की कोई मद अथवा भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी मद; अथवा

ii. उसी तरह की मद अथवा भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी मद का कुल निर्गत, भारत में उक्त मद के कुल उत्पादन का मुख्य हिस्सा बनता है।

7. यह आवेदन मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड; मैसर्स एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स लक्ष्मी कुमारन और श्रीधरन अटॉर्नी नई दिल्ली के माध्यम से दायर किया गया है। उन्होंने यह दावा किया है कि उनका कुल

उत्पादन, भारत में पीयूसी के कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है और यह देश में विचारणाधीन उत्पाद के भारत के उत्पादन के मुख्य हिस्से को दर्शाता है और अतः उनके पास इस आवेदन को दायर करने का आधार है।

8. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर यह निर्धारित किया जाता है कि आवेदन दायर करने वाले घरेलू उत्पादकों तथा ऐसे उत्पादकों जिन्होंने संगत सूचना उपलब्ध कराई है, का उत्पादन, भारत में उक्त मद के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। तदनुसार वे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 6ख के अनुसार घरेलू उत्पादक हैं।

(III) जांच की अवधि :

9. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय ड्यूटी की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997, रक्षोपाय संबंधी करार और जीएटीटी के संगत अनुच्छेद XX विनिर्दिष्ट रूप से यह परिभाषित नहीं करते कि जांच की अवधि क्या होनी चाहिए। रक्षोपाय उपायों संबंधी विभिन्न मामला कानूनों से यह स्पष्ट होता है कि न तो रक्षोपाय संबंधी घरेलू कानूनों अथवा रक्षोपायों और जीएटीटी के अनुच्छेद 19 के करार में जांच की अवधि के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं है केवल इस तथ्य को छोड़कर कि संगत जांच अवधि पर्याप्त रूप से इतनी लम्बी होनी चाहिए ताकि बढ़े हुए आयात और गम्भीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके। इस मामले में अन्वेषण की अवधि 2013-14 से 2015-16 (वार्षिकृत) ली गई है जो बाजार निबंधनों और संरक्षण शुल्क के अधिरोपण की आवश्यकता सुनिश्चित हेतु विचारण में लिए जाने के क्रम में पर्याप्त हैं।

(IV) <u>सूचना का स्रोत:</u>

10. 2013-14 से 2015-16 (प्रथम तिमाही) घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रदत्त आईबीआईएस से 'पीयूसी' के लिए संचालनवार आयात डाटा लिया गया है और इसे विश्लेषण हेतु विचारण में लिया गया है। 2011-12 से 2015-16 (प्रथम तिमाही) घरेलू डाटा को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है और आवश्यक समझा जाने की सीमा तक इसे इकाइयों में बनाए रखे जाने वाले उत्पाद रिकॉर्डस और अन्य रिकॉर्डस के आधार पर विभाग द्वारा स्थल-विशेष पर ही दौरे के द्वारा सत्यापित किया गया है।

(V) <u>प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता</u>

11. घरेलू उद्योग ने गोपनीय आधार पर कुछ सूचना उपलब्ध कराई है और प्रस्तुत की गई सूचना/डाटा पर गोपनीयता की मांग की है। घरेलू उद्योग ने संरक्षण नियमावली 1977 और व्यापार सं. एसजी/टीएन/1/97 दि. 06.09.1997 के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण उपाय हेतु आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध करवाए। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने आवेदन फाइल किए जाते समय गोपनीयता की मांग हेतु कारणों को प्रस्तुत किया गया है।

12. संरक्षण नियमावली, 1997 और संरक्षण पर डबल्यूटीओ समझौते का अनुच्छेद 3.2 भी गोपनीयता हेतु उपबंधित किया गया है। आवेदक से ऐसी सूचना प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं हैं जो कंपनी की गोपनीय सूचना है, जिसका प्रकटन कंपनी के व्यावसायिक हितों को गंभीर पूर्वाग्रह का कारक बन सकता है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और पूर्व में बृहत्त रूप में जनता के समक्ष जिसे आवेदक ने प्रकट नहीं किया है। तद्नुसार घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रदत्त, गोपनीयता मंजूर की गई है।

(VI) अभिवर्धित आयात (निरंकुश और संगत स्वरूप में)

13. 'पीयूसी' को विभिन्न देशों से भारत में आयात किया गया है। 'पीयूसी' के आयात नीचे दर्शाई गई तालिका में अवधि के दौरान संगत शर्तों के साथ-साथ पूर्ण आधार पर एक बढ़ते रूख को दर्शाया गया है:-

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	प्रवृत्ति	अखिल भारतीय उत्पादन (एमटी)	उत्पादन के संबंध में आयात का प्रतिशत
2013-14	1292099	100	25510777	5
2014-15	2540114	197	26395795	10
2015-16(प्रथम तिमाही)	844840		6646258	
2015-16(ए)	3379360	262	26585032	13

(VI) <u>अप्रत्याशित विकास</u>

14. यह नोट किया गया है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के विश्लेषण हेतु महानिदेशक पर कोई व्यक्त बाध्यता/अपेक्षा नहीं है क्योंकि अप्रत्याशित विकासों के विश्लेषण हेतु अनुसरणित प्रणाली पर भारतीय नियमावली अथवा संरक्षणों पर डब्ल्यूटीओ समझौता जिसमें प्रणाली जिसका अप्रत्याशित विकासों के निर्णयन के मापदंडों को पूरा किए जाने अथवा उसका अनुसरण किए जाने की प्रणाली के संबंध में कोई निर्धारण भी नहीं किया गया है। तथापि जीएटीटी के अनुच्छेद XIX के साथ पठित रक्षोपाय पर समझौते में 'अप्रत्याशित विकासों' के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय प्राधिकारियों की बाध्यता है, जो घरेलू उद्योग में गंभीर क्षति हेतु प्रशस्त है। यह स्वतः भिज्ञ है कि इस निदेशालय द्वारा इसके अन्वेषणों में ''अप्रत्याशित विकासों'' के मुद्दों को लगातार परीक्षण किया गया है। अतः अप्रत्याशित समझा गया है, जो आयातों की अभिवृद्धि हेतु प्रशस्त है।

15. अर्जेंटीना में अपीलीय निकाय-फुटवियर (ईसी मामला) ने निर्णय किया है कि अप्रत्याशित विकासों के मुहावरे से तात्पर्य अप्रत्याशित विकासों से है। ''अप्रत्याशित विकासों'' हेतु अपेक्षित है कि विकास जो ऐसी अभिवर्धित मात्राओं और घरेलू उत्पादों हेतु गंभीर क्षति पैदा करने अथवा आशंका रूपी ऐसे निबंधनों के अंतर्गत आयातित किए जा रहे उत्पादों हेतु प्रशस्त्र हैं 'अप्रत्याशित' होना चाहिए। समान मामले में निकाय ने एक जीएटीटी पैनल रिपोर्ट नोट की है जिसमें निर्णय किया है कि टैरिफ परक्रामण के समय विकास अप्रत्याशित होना चाहिए। कोरिया-डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया कि अप्रत्याशित विकास जब सदस्य उस बाध्यता को व्यपगत करता है प्रत्याशित अथवा अपेक्षित नहीं हैं।

16. अर्जेंटीना में अपीलीय निकाय-फुटवीयर (ईसी) ने तब निर्णय दिया कि ''अप्रत्याशित विकासों'' की अपेक्षा रक्षोपाय उपायों के अधिरोपण हेतु एक प्रथक ''निबंधन'' को स्थापित नहीं करता है, किंतु ''परिस्थितियों'' के एक कतिपय सैट को निर्धारित करता है।

17. यूएस-स्टील रक्षोपाय पर पैनल का निष्कर्ष है कि अनेक घटनाओं के सम्मिलन एक अप्रत्याशित विकास के आधार स्वरूप को समेकित कर सकता है। ''यूनाईटेड स्टेट्स ने तर्क प्रस्तुत किया कि यूएस डॉलर की मजबूती एक विकास था जो अन्य विकासों अर्थात् एशिया में

और पूर्व यूएसआर में मुद्रा संकट और यूनाईटेड स्टेट्स में ईस्पात की मांग में लगातार वृद्धि शामिल हैं, मार्केट अन्य घटती मार्केट्स के रूप में अभिवर्धित आयातों हेतु प्रशस्त है।''

18. आवेदक ने इंगित किया कि कई देशों ने जिसमे कि चीन पीआर, रूस और यूक्रेन भी शामिल है, मे इस्पात निर्माताओं ने विकसित देशों और शेष विश्व द्वारा इस्पात की मांग को पूरा करने की अपार क्षमताओं को विकसित किया है। अधिकांश देश जो पारंपरिक रूप से इस्पात के बड़े आयातक थे, जैसे यूनाईटेड स्टेट्स और यूरोपीय संघ ने इस्पात आयात पर उनकी निर्भरता को घटाया था। इस विकास से चीन पीआर, रूस, यूक्रेन इत्यादि से विकसित देशों को इस्पात का आयात प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ। इन देशों में आयातकों को उनके उत्पादन को निपटाने के लिए सोचना पड़ा था। भारत बहुविध कारणों से इन निर्माताओं का स्वाभाविक चयन बना।

19. 31 दिसंबर 2014 तक वैश्विक कच्ची स्टील क्षमता 2351 थी जो कि भारत जैसे देशों जिनमें इसकी काफी मांग हैं, के अधिशेष स्टील के निर्यात के लिए बढ़ती मांग के परिणाम-स्वरूप लगभग 30% द्वारा, वैश्विक मांग की अधिकता से दूर थी।

20. भारत उच्च घरेलू मूल्य तथा अपेक्षतया श्रेष्ठ मांग की संभावना के साथ इन स्टील अधिशेष अर्थव्यवस्थाओं के लिए उनकी अधिक क्षमता को दिशा प्रदान करने के लिए, सदैव एक आकर्षण रहा है।

21. पिछले कुछ वर्षों में, रूस ने भारत में अपना निर्यात बढ़ाया है। प्रतिष्ठित जर्नल स्टील 360 की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी स्टील उत्पादक, अपनी कमजोर मुद्रा के कारण भारत में होने वाले अपने निर्यात के लिए उच्च प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। इन कारणों से भारत में रूस का स्टील का निर्यात बढ़ा है क्योंकि यूरोपीय यूनियन तथा यूक्रेन जैसे पारंपरिक बाजारों ने रूस में अपनी पहुंच बंद कर दी है।

22. उक्रेन मुद्रा हरवना ने 2014 में अकेले करीब 60 प्रतिशत का तीव्र मूल्यह्रास देखा। यह रूस के हस्तक्षेप के कारण उक्रेन में राजनीतिक अशांति का परिणाम था। उक्रेन में अशांति की लम्बी अवधि के कारण इसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई और इसकी मुद्रा यूएस डॉलर को तीव्रता से घट गई। तथापि, रूस के सदृश, उक्रेन मुद्रा में मूल्यह्रास ने उसके स्टील उत्पादकों/

निर्यातकों को सहायक हुआ ताकि वे वैश्विक स्टील बाजार पर और दबाव डालने के लिए अपने न्यून मूल्यांकित निर्यातों को लीवरेज कर सकें। कई अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में यह सुलिखित है कि उक्रेन में कैसे रूस और चीन को ज्वाइन किया है ताकि स्टील मूल्य कम हों और अच्छी मांग के देशों के साथ अपनी अतिरेक स्टील को दिया जाए। यह प्रमाणित है कि उक्रेन यह प्रवृत्ति 2015 में भी जारी रखेगा।

23. चीन पीआर कमजोर घरेलू मांग से गुजर रहा है। अवसंरचना क्षेत्र, विशेषत: हाउसिंग जोकि चीन पी आर में स्टील का सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है, मन्दी से गुजर रहा है। चीनपीआर में विनिर्माता घरेलू बाजार में अपने उत्पादन का और अधिक निपटान नहीं कर सकते। इस स्थिति की अल्प अवधि में अपरिवर्तित रहने की संभावना है और चीन स्टील प्रयोग 2015 और 2016 में 0.5 प्रतिशत की रकारात्मक वृद्धि को रिकॉर्ड करना जारी रखेगा। इसके परिणामस्वरूप भारत जैसे देशों को निर्यात एक सहज चयन है क्योंकि भारत में स्टील की मांग बढ़त पर रही है। चीन पी आर में ऐसे मूलभूत कारकों का परिणाम चीन पी आर से आयातों का अचानक प्रवाह हुआ है।

24. प्रदान किए गए डाटा/ साक्ष्यों का परीक्षण करने पर यह देखा जाता है कि चीन पी आर, रूस और यूक्रेन तथा दूसरे देश विशेषत: भारतीय बाजार में पीयूसी भेज रहे हैं क्योंकि भारत अपेक्षकृत बेहतर मांग संभावनाओं और उच्च घरेलू मूल्यों के साथ अपनी अधिक क्षमताओं को पहुंचाने के लिए इन स्टील अतिरेक अर्थव्यवस्थाओं के लिए आकर्षण रहा है। विश्व स्टील गतिकी में प्रकाशित रिपोर्ट में वर्णन है कि ''पहले 2015 के लिए प्रभावित क्षमता आंकड़े कुल 2.05 अरब (बिलियन) टन के के लिए, गैर-चीन उद्योग के लिए 1055 मिलियन टन और चीन के लिए 991 मिलियन टन है। वर्ष 2014 में हुए 1.66 बिलियन टन के इस्पात उत्पादन से हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि विश्व की कुल इस्पात निर्माण क्षमता 382 मिलियन टन है। तदनुसार उपर्युक्त बातों और दिए गए साक्ष्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रमुख निर्यातक देशों की वर्तमान अतिरिक्त क्षमता और भारत की बढ़ती मांग/ पीयूसी की खपत ही इस प्रकार बढ़ते आयात के कारण हैं। अत: यह देखने में आता है कि घरेलू उद्योग द्वारा बताए गए उपर्युक्त कारण अप्रत्याशित हैं

(VII) गम्भीर क्षति और गम्भीर क्षति का खतरा :

25. **गम्भीर क्षति :** आवेदक ने यह दावा किया है कि पीयूसी के बढ़ते आयात के कारण पीयूसी के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति हुई है और ऐसी गम्भीर क्षति का खतरा भी बना हुआ है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(क) **उत्पादन :** घरेलू उद्योगों का उत्पादन एक ही स्तर पर बना रहा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	डीआई का उत्पादन (मीटन)	रुख
2013-14	17881187	100
2014-15	17836937	100
2015-16(प्रथम तिमाही)	4456795	
2015-16 (ए)	17827180	100

(ख) **घरेलू मांग में घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा :** हाल की अवधि में आवेदकों का बाजार हिस्सा गिरा है। 2013-14 में आवेदकों का बाजार हिस्सा 45 प्रतिशत था जो कि 2015-16 (क) में घटकर 37 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि के दौरान आयात का बाजार हिस्सा 6 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (मी.टन)	डीआई का विक्रय (मी.टन)	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री (मी.टन)	डीआई की कैपिटिव बिकी (मी.टन)	अन्य की कैपिटिव बिक्री (मी.टन)	कुल मांग (मी.टन)	मार्केट शेयर (%)	
							डीआई	आयात
2013-14	1292099	10342565	2994323	4274000	4000724	22903711	45	6

2014-15	2540114	9949214	3298273	5019741	4615864	25423206	39	10
2015-16(प्रथम तिमाही)	844840	2589929	1065972	1321497	1180681	7002919		
2015-16(ए)	3379360	10359716	4263888	5285988	4722724	28011676	37	12

(ग) उत्पादकता एवं रोजगार : इस अवधि के दौरान रोजगार एवं उत्पादकता का रूख एक जैसा रहा है जैसा कि नीचे सारणी से स्पष्ट होता है।

वित्तीय वर्ष	रोजगार की संख्या (सूचकांक)	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (मी.टन) (सूचकांक)
2013-14	100	100
2014-15	100	100
2015-16(प्रथम तिमाही)	100	
2015-16(ए)	100	100

घ. क्षमता उपयोग : इस अवधि के दौरान, जैसा कि नीचे सारणी से विदित है क्षमता उपयोग वही रहा जो 2013-14 से 2015-16 (ए) के दौरान था:

वित्तीय वर्ष	संस्थापित क्षमता (मी.टन)	क्षमता उपयोग (%)
2013-14	23568996	76
2014-15	23568996	76
2015-16(प्रथम	5884372	

तिमाही)		
2015-16(ए)	23537488	76

(ड.) **लाभ/हानि** - घरेलू उद्योग की लाभप्रदाता 2015-16 (प्रथम तिमाही) में तेजी से कम हुई और घरेलू उद्योग में निम्नलिखित सारणी के अनुसार हानियां दर्ज की:-

वित्तीय वर्ष	लाभ प्रदाता (रूपये/ मी.टन) सूचकांक
2013-14	100
2014-15	135
2015-16(प्रथम तिमाही)	(55)

(च) माल सूची- निम्न सारणी माल सूची दर्शा रही है 2013-14 में 100 बिन्दुओं से बढ़कर 2015-16 (ए) में 103 बिन्दुओं की तेजी देखी गई।

वित्तीय वर्ष/ तिमाही	माल सूची (मी.टन)	माल सूची (मी.टन) (सूचकांक)
2013-14	636879	100
2014-15	648290	102
2015-16(प्रथम तिमाही)	657099	103

(छ) मूल्य ह्रास: निम्नलिखित सारणी से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग पर आयात कीमतों के अनुरूप अपनी कीमतों को कम करने या अपनी कीमतों पर बने रहने का लगातार दबव था। अभूतपूर्व उच्च स्तर पर बढ़े हुए आयातों का प्रवेश ऐसा था कि कीमत कम करने पर भी घरेलू

उद्योग अपने उत्पादन/बिक्री और बाजार हिस्सेदारी पर बने रहने में सक्षम नहीं था। इसकी परिणति 2015-16 (प्रथम तिमाही) के दौरान घरेलू उद्योगों के लिए हानियों के रूप में हुई।

विवरण	**यूनिट**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16(तिमाही 1)**
बिक्री की लागत (सूचकांकित	रूपये/ मी.टन	100	97	92
भारित औसत बिक्री उगाही (सूचकांकित)	रूपये/ मी.टन	100	99	84
आयातित माल का मूल्य (सूचकांकित)	रूपये/ मी.टन	100	94	77
लाभ/(हानि) (सूचकांकित)	रूपये/ मी.टन	100	135	(55)

26. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के वित्तीय पैरामीटरों में सभी ओर से गिरावट आई और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई और घरेलू उद्योग को आगे और क्षति से बचाने के लिए, सुरक्षोपाय शुल्कों के रूप में तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है।

27. यह भी देखा गया है कि वर्तमान जांच में भी गंभीर क्षति का जोखिम विद्यमान है जैसा कि उपर्युक्त से विहित है। जांच की अवधि पर आयातों में भारी वृद्धि हुई जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई और सभी संभावनाओं में, पीयूसी के आयात आगे और बढ़ेगे और घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति का जोखिम बना रहेगा। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2013-14 में 45 प्रतिशत से घट कर 2014-16 (ए) में 37 प्रतिशत हो गई। जबकि इसी अवधि के दौरान, आयात की बाजार हिस्सेदारी 2013-14 में 6 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 (ए) में 12 प्रतिशत हो गई जो चिंताका कारण है।

(IX) बढ़े हुए आयात और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का जोखिम के बीच कारण-संबंध:

28. कोरिया डेरी पर पैनल ने ''कारण निर्धारण'' के लिए प्रस्ताव निर्धारित किया :

'' इसका कारण संबंध निर्धारण के निष्पादन में, हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण को यह विश्लेषित करने और तय करने की आवश्यकता है कि क्या उद्योग में, गंभीर क्षति का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा विचारित परिवर्तनों का कारण बढ़े हुए आयातों को बताया गया है इसके ''कारण निर्धारण'' मूल्यांकन में राष्ट्रीय प्राधिकरण उस उद्योगकी स्थिति पर अभिप्रेत स्थूलप्रद और परिणामनीय प्रकृति के सभी संबद्ध कारकों का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण ने बढ़े हुए आयातों से अलग घरेलू उद्योगों को क्षति पहुंचाने वाले कारकों की पहचान की है तो इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन कारकों द्वारा हुई कोई भी क्षति बढ़े हुए आयातों द्वारा हुई क्षति नहीं मानी जाती।

कारण- संबंध स्थापित करने हेतु कोरिया को दिखाना पड़ेगा कि उसके घरेलू उद्योग को पहुंचने वाली क्षति बढ़े हुए आयात से होता है दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह सिद्ध करना होगा एस एम पी पी के आयातों से दूध के पाउडर और कच्चा दूध का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचती है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करते हुए कोरियन प्राधिकारी का दायित्व बनता है कि बढ़े हुए आयातों को अन्य कारकों द्वारा होने वाला कोई क्षति न होने दे।''

29. ऊपर उल्लिखित मापदंडों के व्यापक मूल्यांकन करने से सिद्ध होता है कि गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की आशंका बढ़े हुए आयात के कारण हो रही है। कारण- संबंध का पता लगाने के प्रयोजन हेतु उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले विषयाश्रित और प्रमात्रीकरण-योग्य स्वरूप के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया गया है। मौजूदा मामले में,इस संबंध में निम्नलिखित संगत है-

(i) आयात की मात्रा में सुनिश्चित रूप से जौर 100 प्रतिशत से 262 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है;

(ii) आयात का मार्केट शेयर भी 6 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बढा है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के मार्केट शेयर में 45 प्रतिशत से 37 प्रतिशत गिरावट आयी है।

(iii) 2015-16 (पहली तिमाही) के दौरान घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कमतर मूल्यों पर आयात के उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ता आयात की ओर रूख बदल रहें है और जिसके कारण घरेलू उद्योग बढ़ती माल-सूची का सामना कर रहा है और घटते आयात मूल्य घरेलू उद्योगों को उसके मूल्य को कायम रखने से रोक रहे हैं;

iv) कम मूल्य पर आयात में बढ़ोतरी के कारण, घरेलू उद्योग भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग/खपत में वृद्धि की दर के मुकाबले में अपना उत्पादन एवं बिक्री में वृद्धि करने में असमर्थ हैं;

v) लाभधारिता घट गई है तथा आयात में बढोतरी के कारण सर्वाधिक हाल की अवधि में घरेलू उोग को हानि होनी शुरू हो गई ।

30. उपरोक्त के मद्देनजर मुझे लगता है कि आयात में बढोतरी एवं घरेलू उद्योग के द्वारा खाई गई गंभीर चोट के बीच प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध है क्योंकि आधार वर्ष 201314 के मुकाबले में वर्ष 2015-16 (ए) के दौरान स्पष्ट शब्दों में आयात में लगभग तीन गुणा वृद्धि हुई है तथा घरेलू उद्योग का मार्किट शेयर कम हो रहा है जो 45 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशतहो गया है । प्रतिटन आयात कीमत काफी तेजी से गिरी है। परिणामत: घरेलू उद्योग के लाभ में कमी आई है ।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयात में बढोतरी के कारण घरेलू उद्योग को चोट पहुँची है ।

(X) विकासशील देश :

31. विकासशील देशों से आयात की प्रतिशतता की भी जांच की गई है । विचाराधीन उत्पाद का आयात एक से अधिक उन विकासशील देशों से हो रहा है जिनकी भारत में आयात की प्रतिशतता 9 प्रतिशत से अधिक है । अत: दिनांक 14.12.1998 की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 103/98 सीमा शुल्क के अनुसार विकासशील देशों से होने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमा शुल्क टैरिफअधिनियम, 1975 की धारा 8 ख के उपबंध के अनुसार संरक्षण शुल्क भी लगता है ।

(xi) नाजुक परिस्थितियां :

32. सीमा शुल्क (टैरिफ संरक्षण शुल्क की पहचान एवं निर्धारण) ''नाजुक परिस्थितियों' का अर्थ उन परिस्थितियों से है जिनमें इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि इतनी अधिक मात्रा में एवं ऐसी परिस्थितियों में आयात हुए हैं जिनसे घरेलू उद्योग को गंभीर चोट पहुंचाने अथवा गंभीर चोट होने की आशंका है और अनंतिम संरक्षण शुल्क लगाने में विलंब से घरेलू उोग को अपूरणीय हानि होगी ।

33. दिनांक 29.7.1997 की अधिसूचना संख्या 35/97 -एन टी -सीमा शुल्क के द्वारा अधिसूचित सीमा शुल्क टैरिफ (संरक्षण शुल्क की पहचान एवं निर्धारण) नियमावली 1997 के नियम 9 में निर्दिष्ट है कि महा निदेशक जांच का शीघ्र संचालन करवाएगा तथा नाजुक परिस्थितियों में वह ''गंभीर' अथवा 'गंभीर चोट की आशंका' के संबंध में एक प्राथमिक जांच परिणाम दर्ज कर सकता है । जांच के संचालक सिद्धांत सीमा शुल्क (संरक्षण शुल्क की पहचान एवं निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 6में उपलब्ध करवाए गए हैं । उक्त नियमावली के नियम 6 एवं 9 को सामंजस्य से पढने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नियमावली में प्रारंभिक जांच परिणाम के आधारपर अनंतिम संरक्षण शुल्क की शीघ्र सिफारिश का प्रावधान है । उक्त नियमावली के नियम 15 में अंतरीय संरक्षण शुल्क के रिफंडका प्रावधान है यदि जांच की समाप्ति के उपरांत लगाया गया संरक्षण शुल्क पहलेसे लगाएगए तथा संग्रहित अनंतिम शुल्क से कम हो । वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह माना गया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में तीव्र गिरावट के मद्देनजर अंतरिम उपाय अनिवार्य है । चूंकि इस मामले पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है तथा नाजुक परिस्थितियों के मद्देनजर अनंतिम जांचपरिणाम जारी किए जा रहे हैं, यह अंतरिम उपाय पूर्णतः घरेलू कानून तथा संरक्षण पर डब्ल्यू टी ओ के समझौते के अनुरूप है ।

34. नाजुक परिस्थितियों का होना निर्धारित करनेके लिए आयात में बढोतरी तथा घरेलू उद्योग के कमजोर निष्पादन पर विचार किया गया है।

क) वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 (तिमाही -।) के आंकडों के तिमाही वार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 2014-15 (तिमाही ।) के मुकाबले 2015-16 (तिमाही ।) अवधि के दौरान आयात काफी उच्च स्तर पर रहे हैं तथा इसी अवधिकेदौरान आयात की कीमतों में

अत्यधिक गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग की कीमतें नीचे आ गई हैं । वर्ष 2015-16 (तिमाही ।) घरेलू उद्योग की निबल बिक्री नीचे आ गई है जब इसकी वर्ष 2014-15 (तिमाही ।) के दौरान निबली बिक्रीसे तुलना की जाए तो, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

विवरण	इकाई	2014-15 (क्यू 1)	2014-15 (क्यू 2)	2014-15 (क्यू 3)	2014-15 (क्यू 4)	2015-16 (क्यू 1)
बिक्री की कीमत (सूची बद्ध)	रुपए /एमटी	100	99	101	94	94
धारित औसतन ब्रिकी (सूचीबद्ध)	रुपए /एमटी	100	100	96	90	82
उतरान मूल्य (सूची बद्ध)	रुपए /एमटी	100	98	98	90	78
लाभ/(हानि) (सूची बद्ध)	रुपए /एमटी	100	113	41	49	(31)
अंडर कटिंग मूल्य (सूचीबद्ध)	रुपए /एमटी	(100)	(71)	(94)	(94)	(13)

ख) बिक्री वसूली में उल्लेखनीय कमी के कारण लाभ प्रति एम टी में तेजी से गिरावट आई और वर्ष 2014-15 (क्यू 4) की तुलना में वर्ष 2015-16 (क्यू 1) के दौरान क्षति में बदल गई । क्योंकि घरेलू उद्योग के लिए लाभ पहले ही क्षतियों में बदल गए हैं, अत: यह जरूरी है कि आगे और कोई समय बरबाद किए बिना आयात में प्रवाह को रोका जाए ।

ग) घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वे भी बहुत से ग्राहकों से विषयगत वस्तुओं को पर्याप्त रूप से निम्न दर पर आपूर्ति करने के लिए प्रतिकूल प्रस्ताव प्राप्त कर रहे हैं । ग्राहक विषयगत वस्तुओं के मूल्य में कमी लाने के लिए चीनी एवं कोरियन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्यों का भाव बताते हैं । चीनी एवं कोरियन उत्पादकर्ता जुलाई, 201 के दौरान 320-350 यूएस डालर प्रति एमटी की रेंज में कीमत लगाई है । तदनुसार घरेलू उद्योग की कीमतों में आगे और गिरावटआ रही है । स्पष्ट संकेत है कि बढते आयात ने घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाया है और गंभीर खतरा पहुंचाने के लिए धमकी भी दे रहा है ।

घ) आयात का मार्केट शेयर वर्ष 2013-14 में 6 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2015-16 (ए) में 12 प्रतिशत हो गया है । घरेलू उद्योग को आयात में प्रवाह के कारण उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोगिता को रोककर रखनेके लिए बाध्य कर दिया गया है । घरेलू उद्योग के साथ सामान सूचियां बढ रही हैं । इसके अलावा, घरेलू उद्योग वित्तीय क्षतियों का सामना कर रहा है।

ड.) इस प्रकार प्राथमिक संकल्प दर्शाता है कि जांच की समग्र अवधि के दौरान गिरती यूनिट मूल्यों के साथ आयात में अत्यधिक प्रवाह; घरेलू उद्योग का कमजोर निष्पादन ने गंभीर खतरा पैदा किया है अथवा गंभीर खतरे को धमकी दी है तथा मौजूदा केस में नाजुक परिस्थितियां संस्थापित की है ।

(ग) निष्कर्ष

35. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के विश्लेषण तथा नुकसान माप दंडों के आधार पर यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग मार्केट शेयर, लाभ/क्षति, सामान सूची, घरेलू बिक्री की मतों आदि में गिरावट के संबंध में गंभीर खतरे का सामना/गंभीर खतरे की धमकी का सामना कर रहा है । फलस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षतियों में विषयगत वस्तुओं का उललेखनीय बढते हुए आयात के कारण वृद्धि हुई है । उपरोक्त के मद्देनजर, मैं पाता हूँ कि गंभीर खतरे के विनाश से घरेलू उत्पादकर्ताओं को बचाने के उद्देश्य से तत्काल अनंतिम सुरक्षोपाय शुल्क के लगाने को न्यायोचित ठहराते हुए संकटपूर्ण परिस्थितियों विद्यमान हैं जिससे इससे पार पाना मुश्किल होगा, यदि सुरक्षोपय के अनुप्रयोग में विलंब किया जाताहै।

(घ) सिफारिश :

36. उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर यह निष्कर्ष लिया गया है कि भारत मेंपीयूसी के बढते आयात ने घरेलू उद्योग/पीयूसी के उत्पादकों को गंभीर खतरा पहुंचाया है और गंभीर खतरा पहुंचाने की धमकी दी है । संकटपूर्ण परिस्थितियां मौजूद हैं, जहां अनंतिम सुरक्षोपायों हेतु अनुप्रयोग में कोई विलंब विनाश करेगा जिससे इससे पार पाना मुश्किल होगा, 200 दिनों की अवधि के लिए अनंतिम सुरक्षा शुल्क के तत्काल अनुप्रयोग की जरूरत पैदा होगी, गंभीर खतरे तथा गंभीर खतरे की धमकी का लंबित अंतिमसंकल्प/घरेलू उत्पादकों द्वारा पीयूसी की

बिक्री की औसत कीमत पर विचार करते हुए (गोपनीय) ब्याज को छोडकर बिक्री की कीमत पर यथोचित आय, आयात शुल्क का वर्तमान स्तर तथा पीयूसी का औसत आयात मूल्य, 200 दिनों के लिए मूल्यानुसार 20% (बीस प्रतिशत) यथामूल्य की दर पर अनंतिम सुरक्षा शुल्क जिसे घरेलू उद्योग के हित का संरक्षण करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम होने पर विचार किया गया है, पीयूसी के आयात पर लगाए जाने की सिफारिश की जाती है ।

(ड.) आगे की प्रक्रिया :

37. विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रदान की गई सूचना सत्यापन के अध्यधीन हो सकती है जहां जरूरी हो, जिसके लिए वे अलग से सूचित करेंगे ।

38. अंतिम संकल्प करने से पूर्व कुछ समय बाद एक जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तारीख की अलग से सूचना दी जाएगी ।

(विनय छाबड़ा)
महानिदेशक